डिजिटल क्रांति से बदला उत्तराखंड का खनन क्षेत्र

- **आरएफआईडी और एमडीटीएसएस प्रणाली से हुआ 'अमूल-चूल' परिवर्तन**
- **मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और खनन निदेशक राजपाल लेघा के मार्गदर्शन में उत्तराखंड खनन विभाग छू रहा है नई ऊंचाइयां**

ए.ए तन्हा

किच्छा। उत्तराखंड का खनन क्षेत्र, जो कभी अपनी भौगोलिक विषमताओं, मैन्युअल खामियों और अवैध परिवहन की चुनौतियों के लिए सुर्खियों में रहता था, आज देश में एक डिजिटल गवर्नेंस मॉडल के रूप में उभर चुका है। इस बड़े बदलाव की मुख्य धुरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के उनके मार्गदर्शन में बनी नीतियों को पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू किया है।

उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम और उसके तहत खनन वाहनों के लिए अनिवार्य की गई रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक है। उत्तराखंड राज्य खनन निदेशक राजपाल लेघा ने प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि इन तकनीकों के सटीक इस्तेमाल से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने न केवल माफिया साम्राज्य को ध्वस्त किया है बल्कि पारदर्शी व्यवस्था लागू कर राष्ट्रीय पटल पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी अपने नाम किया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के रणनीतिक मार्गों पर अत्याधुनिक ई-चेक गेट स्थापित किए हैं। इन चेक गेट्स को तकनीकी उपकरणों से लैस किया गया है। खनन क्षेत्र से निकलने वाले हर पंजीकृत वाहन पर विशेष त्थ्क्ष्क टैग लगाया गया है। जैसे ही वाहन चेक गेट से गुजरता है, बिना रुके उसकी पहचान और परमिट स्वत: सत्यापित हो जाते हैं। गेट पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर डेटाबेस से मिलान करते हैं।धर्मकांटों और तौल प्रणालियों को केंद्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है, जिससे ओवरलोडिंग की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है।

इस डिजिटल और अमूल-चूल व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा असर राज्य के खजाने पर देखने को मिला है। किसी समय राज्य का वार्षिक खनन राजस्व महज 300 करोड़ से 350 करोड़ के बीच सिमटा रहता था। राजपाल लेघा के अनुसार तकनीकी पारदर्शिता, ऑनलाइन ई-रवाना प्रणाली और चेक गेटों के सुदृढ़ीकरण से चोरी रुकी और हालिया वित्तीय वर्ष में खनन विभाग ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पीछे छोड़ते हुए 1217 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है।

खनन सुधारों में देश भर में दूसरे स्थान पर रहने के कारण केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड को 200 करोड़ की विशेष वित्तीय प्रोत्साहन सहायता स्वीकृत की है, जिसका उपयोग इस तकनीकी ढांचे को पहाड़ों के सुदूर क्षेत्रों तक विस्तारित करने में किया जा रहा है।अब कोई भी वाहन अवैध रूप से या बिना वैध रॉयल्टी चुकाए सड़कों पर खनिज परिवहन नहीं कर सकता। देहरादून में स्थापित माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर और जिला स्तर के मिनी कमांड सेंटरों से 24 घंटे लाइव निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही, विभाग के श्खनिज मित्रश एकीकृत पोर्टल और एम चेक मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिकारी फील्ड में चलते वाहनों का डेटा केवल एक क्लिक में देख सकते हैं।

सिस्टम के कड़े नियमों के मुताबिक, जो स्टोन क्रशर या स्क्रीनिंग प्लांट अपने सीसीटीवी कैमरों और कांटों को सरकारी सर्वर से लिंक नहीं करते, उनका ई-रवाना पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाता है। इस सख्त रुख से बिचौलियों और फर्जी कागजात के सहारे चलने वाले अवैध कारोबार की कमर टूट चुकी है।अवैध और अनियंत्रित खनन न केवल राजस्व की हानि कराता था, बल्कि उत्तराखंड की संवेदनशील नदियों और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाता था। आरएफआईडी और जीपीएस इंटीग्रेशन तकनीक की मदद से अब लीज क्षेत्र से बाहर जाकर खनन करने की प्रवृत्ति पर रोक लगी है। ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगने के कारण राज्य की ग्रामीण और राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कें भी लंबे समय तक सुरक्षित रह पा रही हैं, जिससे लोक निर्माण विभाग का रखरखाव खर्च घटा है।

देश के लिए मिसाल बनी उत्तराखंड की खनन नीति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में और उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के मार्गदर्शन में उत्तराखंड का यह तकनीकी डिजिटल मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन चुका है, जहां हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य उत्तराखंड की इस हाईटेक नीति का अध्ययन कर रहे हैं।

आरएफआईडी सिस्टम का लागू होना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है यह एक नीतिगत क्रांति है जिसने साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो और साथ में आधुनिक तकनीक का सुरक्षा कवच हो, तो सबसे जटिल विभागों को भी पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जन-उपयोगी बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से इसका श्रेय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल निर्देशन, मार्गदर्शन में बनी खनन नीतियों और खनन निदेशक राजपाल लेघा कि उन नीतियों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू करने को दिया जा सकता है।

डिजिटल क्रांति से बदला उत्तराखंड का खनन क्षेत्र आरएफआईडी और एमडीटीएसएस प्रणाली से हुआ 'अमूल-चूल' परिवर्तन

किच्छा (दैनिक दर्पण राजमार्ग)। उत्तराखंड का खनन क्षेत्र, जो कभी अपनी भौगोलिक विषमताओं, मैन्युअल खामियों और अवैध परिवहन की चुनौतियों के लिए सुर्खियों में रहता था, आज देश के भीतर एक डिजिटल गवर्नेंस मॉडल के रूप में उभर चुका है। इस बड़े बदलाव की मुख्य धुरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के उनके मार्गदर्शन में बनी नीतियों को पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू करना है। राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम और उसके तहत खनन वाहनों के लिए अनिवार्य की गई रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक है। इन तकनीकों के सटीक इस्तेमाल से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने न केवल माफिया राज को ध्वस्त किया है बल्कि पारदर्शी व्यवस्था लागू कर राष्ट्रीय पटल पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी अपने नाम किया है।उत्तराखंड सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के रणनीतिक मार्गों पर अत्याधुनिक ई-चेक गेट स्थापित किए हैं। इन चेक गेट्स को तकनीकी उपकरणों से लैस किया गया है। खनन क्षेत्र से निकलने वाले हर पंजीकृत वाहन पर विशेष आरएफआईडी टैग लगाया गया है। जैसे ही वाहन चेक गेट से गुजरता है, बिना रुके उसकी पहचान और परमिट स्वतः सत्यापित हो जाते हैं। गेट पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन

कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर डेटाबेस से मिलान करते हैं।धर्मकांटों और तौल प्रणालियों को केंद्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है, जिससे ओवरलोडिंग की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है।इस डिजिटल और अमूल-चूल व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा असर राज्य के खजाने पर देखने को मिला है। किसी समय राज्य का वार्षिक खनन राजस्व महज 300 करोड़ से 350 करोड़ के बीच सिमटा रहता था। तकनीकी पारदर्शिता, ऑनलाइन ई-रवाना प्रणाली और चेक गेटों के सुदृढ़ीकरण से चोरी रुकी और हालिया वित्तीय वर्ष में खनन विभाग ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पीछे छोड़ते हुए 1217 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है।खनन सुधारों में देश भर में दूसरे स्थान पर रहने के कारण केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड को 200 करोड़ की विशेष वित्तीय प्रोत्साहन सहायता स्वीकृत की है, जिसका उपयोग इस तकनीकी ढांचे को पहाड़ों के सुदूर क्षेत्रों तक विस्तारित करने में किया जा रहा है।अब कोई भी वाहन अवैध रूप से या बिना वैध रॉयल्टी चुकाए सड़कों पर खनिज परिवहन नहीं कर सकता। देहरादून में स्थापित माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर और जिला स्तर के मिनी कमांड सेंटरों से 24 घंटे लाइव निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही, विभाग के 'खनिज मित्र' एकीकृत पोर्टल और एम चेक मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिकारी फील्ड में चलते वाहनों का डेटा केवल एक क्लिक में देख सकते हैं।सिस्टम के कड़े नियमों के मुताबिक, जो स्टोन क्रशर या स्क्रीनिंग प्लांट अपने सीसीटीवी कैमरों और कांटों को सरकारी सर्वर से लिंक नहीं करते, उनका ई-रवाना पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाता है। इस सख्त रुख से बिचौलियों और फर्जी कागजात के सहारे चलने वाले अवैध कारोबार की कमर टूट चुकी है।अवैध और अनियंत्रित खनन न केवल राजस्व की हानि कराता था, बल्कि उत्तराखंड की संवेदनशील नदियों और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाता था। आरएफआईडी और जीपीएस इंटीग्रेशन तकनीक की मदद से अब लीज क्षेत्र से बाहर जाकर खनन करने की प्रवृत्ति पर रोक लगी है। ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगने के कारण राज्य की ग्रामीण और राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कें भी लंबे समय तक सुरक्षित रह पा रही हैं, जिससे लोक निर्माण विभाग का रखरखाव खर्च घटा है। देश के लिए मिसाल बनी उत्तराखंड की खनन नीति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में और उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के मार्गदर्शन में उत्तराखंड का यह तकनीकी डिजिटल मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बन चुका है, जहां हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य उत्तराखंड की इस हाईटेक नीति का अध्ययन कर रहे हैं।आरएफआईडी सिस्टम का लागू होना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है यह एक नीतिगत क्रांति है जिसने साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो और साथ में आधुनिक तकनीक का सुरक्षा कवच हो, तो सबसे जटिल विभागों को भी पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जन-उपयोगी बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से इसका श्रेय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल निर्देशन, मार्गदर्शन में बनी खनन नीतियों और खनन निदेशक राजपाल लेघा कि उन नीतियों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू करने को दिया जा सकता है।

डिजिटल क्रांति से बदला उत्तराखंड का खनन क्षेत्र

आरएफआईडी और एमडीटीएसएस प्रणाली से हुआ अमूल-चूल परिवर्तन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और खनन निदेशक राजपाल लेघा के मार्गदर्शन में उत्तराखंड खनन विभाग नई ऊंचाइयों को छू रहा है

किच्छा।उत्तराखंड का खनन क्षेत्र, जो कभी अपनी भौगोलिक विषमताओं, मैन्युअल खामियों और अवैध परिवहन की चुनौतियों के लिए सुर्खियों में रहता था, आज देश के भीतर एक डिजिटल गवर्नेंस मॉडल के रूप में उभर चुका है। इस बड़े बदलाव की मुख्य धुरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के उनके मार्गदर्शन में बनी नीतियों को पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू करना है। राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम और उसके तहत खनन वाहनों के लिए अनिवार्य की गई रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक है। इन तकनीकों के सटीक इस्तेमाल से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने न केवल माफिया राज को ध्वस्त किया है बल्कि पारदर्शी व्यवस्था लागू कर राष्ट्रीय पटल पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी अपने नाम किया है।उत्तराखंड सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के रणनीतिक मार्गों पर अत्याधुनिक ई-चेक गेट स्थापित किए हैं। इन चेक गेट्स को तकनीकी उपकरणों से लैस किया गया है। खनन क्षेत्र से निकलने वाले हर पंजीकृत वाहन पर विशेष RFID टैग लगाया गया है। जैसे ही वाहन चेक गेट से गुजरता है, बिना रुके उसकी पहचान और परमिट स्वतः सत्यापित हो जाते हैं। गेट पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर डेटाबेस से मिलान करते हैं।धर्मकांटों और तौल प्रणालियों को केंद्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है, जिससे ओवरलोडिंग की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है।इस डिजिटल और अमूल-चूल व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा असर राज्य के खजाने पर देखने को मिला है। किसी समय राज्य का वार्षिक खनन राजस्व महज ₹300 करोड़ से ₹350 करोड़ के बीच सिमटा रहता था। तकनीकी पारदर्शिता, ऑनलाइन ई-रवाना प्रणाली और चेक गेटों के सुदृढ़ीकरण से चोरी रुकी और हालिया वित्तीय वर्ष में खनन विभाग ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पीछे छोड़ते हुए ₹217 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है।खनन सुधारों में

देश भर में दूसरे स्थान पर रहने के कारण केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड को ₹200 करोड़ की विशेष वित्तीय प्रोत्साहन सहायता स्वीकृत की है, जिसका उपयोग इस तकनीकी ढांचे को पहाड़ों के सुदूर क्षेत्रों तक विस्तारित करने में किया जा रहा है।अब कोई भी वाहन अवैध रूप से या बिना वैध रॉयल्टी चुकाए सड़कों पर खनिज परिवहन नहीं कर सकता। देहरादून में स्थापित माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर और जिला स्तर के मिनी कमांड सेंटरों से 24 घंटे लाइव निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही, विभाग के श्खनिज मित्रश एकीकृत पोर्टल और एम चेक मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिकारी फील्ड में चलते वाहनों का डेटा केवल एक क्लिक में देख सकते हैं।सिस्टम के कड़े नियमों के मुताबिक, जो स्टोन क्रशर या स्क्रीनिंग प्लांट अपने सीसीटीवी कैमरों और कांटों को सरकारी सर्वर से लिंक नहीं करते, उनका ई-रवाना पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाता है। इस सख्त रुख से बिचौलियों और फर्जी कागजात के सहारे चलने वाले अवैध कारोबार की कमर टूट चुकी है।अवैध और अनियंत्रित खनन न केवल राजस्व की हानि कराता था, बल्कि उत्तराखंड की संवेदनशील नदियों और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाता था। आरएफआईडी और जीपीएस इंटीग्रेशन तकनीक की मदद से अब लीज क्षेत्र से बाहर जाकर खनन करने की प्रवृत्ति पर रोक लगी है। ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगने के कारण राज्य की ग्रामीण और राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कें भी लंबे समय तक सुरक्षित रह पा रही हैं, जिससे लोक निर्माण विभाग का रखरखाव खर्च घटा है। देश के लिए मिसाल बनी उत्तराखंड की खनन नीति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में और उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के मार्गदर्शन में उत्तराखंड का यह तकनीकी डिजिटल मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन चुका है, जहां हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य उत्तराखंड की इस हाईटेक नीति का अध्ययन कर रहे हैं। आरएफआईडी सिस्टम का लागू होना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है यह एक नीतिगत क्रांति है जिसने साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो और साथ में आधुनिक तकनीक का सुरक्षा कवच हो, तो सबसे जटिल विभागों को भी पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जन- उपयोगी बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से इसका श्रेय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल निर्देशन, मार्गदर्शन में बनी खनन नीतियों और खनन निदेशक राजपाल लेघा कि उन नीतियों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू करने को दिया जा सकता है।

डिजिटल क्रांति से बदला उत्तराखंड का खनन क्षेत्र

आरएफआईडी व एमडीटीएसएस प्रणाली से खनन व्यवस्था में आया बदलाव

लक्ष्मण बिष्ट

किच्छा। उत्तराखंड का खनन क्षेत्र, जो कि कभी भौगोलिक विषमताओं, मैन्युअल प्रक्रियाओं और अवैध खनिज परिवहन जैसी चुनौतियों के लिए जाना जाता था, अब डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शी व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और खनन निदेशक राजपाल लेघा के मार्गदर्शन में लागू की गई तकनीकी व्यवस्थाओं ने खनन क्षेत्र की निगरानी और राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को नई दिशा दी है। राज्य में माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम के साथ खनन वाहनों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके

राजपाल लेघा

अलावा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के प्रमुख मार्गों पर अत्याधुनिक ई-चेक गेट स्थापित किए गए हैं। खनन क्षेत्र से निकलने वाले पंजीकृत वाहनों पर टैग लगाया जाता है। वाहन के ई-चेक गेट से गुजरते ही उसकी पहचान और परमिट का डिजिटल सत्यापन किया जाता है। वहीं, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों के जरिए वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर उपलब्ध रिकॉर्ड से उसका मिलान किया जाता है। तौल प्रणालियों को केंद्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़े जाने से वजन संबंधी गड़बड़ियों और ओवरलोडिंग पर भी निगरानी मजबूत हुई है। डिजिटल निगरानी और ऑनलाइन ई-रवाना व्यवस्था का असर राज्य के खनन राजस्व पर भी दिखाई दिया है। पूर्व में जहां राज्य का वार्षिक खनन राजस्व करीब 300 से 350 करोड़ रुपये के आसपास रहता था, वहीं हालिया वित्तीय वर्ष में खनन विभाग द्वारा 1217 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किए जाने का दावा किया गया है। खनन सुधारों में देशभर में दूसरे स्थान पर रहने के चलते केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय प्रोत्साहन सहायता स्वीकृत किए जाने की बात भी सामने आई है। इसका उपयोग तकनीकी निगरानी व्यवस्था को राज्य के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों तक विस्तार देने में किया जा रहा है। देहरादून में स्थापित माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर और जिला स्तर के मिनी कमांड सेंटरों के माध्यम से खनिज परिवहन पर निगरानी रखी जा रही है। विभाग के खनिज मित्र पोर्टल और एम-चेक मोबाइल ऐप के जरिए अधिकारी वाहनों से संबंधित जानकारी फील्ड में भी तत्काल देख सकते हैं। सिस्टम के तहत स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट के सीसीटीवी कैमरों तथा धर्मकांटों को सरकारी सर्वर से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के ई-रवाना पोर्टल को ब्लॉक करने जैसी कार्रवाई का प्रावधान व्यवस्था को और सख्त बनाता है। अवैध और अनियंत्रित खनन से राजस्व के साथ-साथ नदियों और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता रहा है। डिजिटल निगरानी व्यवस्था के जरिए खनन गतिविधियों और परिवहन की बेहतर निगरानी होने से पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाया गया है। उत्तराखंड की डिजिटल खनन व्यवस्था को अब अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों द्वारा इस तकनीकी व्यवस्था का अध्ययन किए जाने की बात कही जा रही है।

डिजिटल क्रांति से बदला उत्तराखंड का खनन क्षेत्र

❍ आरएफआईडी और एमडीटीएसएस प्रणाली से हुआ अमूल-चूल परिवर्तन ❍ मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व और खनन निदेशक राजपाल लेघा के मार्गदर्शन में उत्तराखंड खनन विभाग नई ऊंचाइयों को छू रहा है

किच्छा। उत्तराखंड का खनन क्षेत्र, जो कभी अपनी भौगोलिक विषमताओं, मैन्युअल खामियों और अवैध परिवहन की चुनौतियों के लिए सुर्खियों में रहता था, आज देश के भीतर एक डिजिटल गवर्नेंस मॉडल के रूप में उभर चुका है। इस बड़े बदलाव की मुख्य धुरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के उनके मार्गदर्शन में बनी नीतियों को पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू करना है। राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम और उसके तहत खनन वाहनों के लिए अनिवार्य की गई रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक है। इन तकनीकों के सटीक इस्तेमाल से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने न केवल माफिया राज को ध्वस्त किया है बल्कि पारदर्शी व्यवस्था लागू कर राष्ट्रीय पटल पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी अपने नाम किया है।उत्तराखंड सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के रणनीतिक मार्गों पर अत्याधुनिक ई-चेक गेट स्थापित किए हैं। इन चेक गेट्स को तकनीकी उपकरणों से लैस किया गया है। खनन क्षेत्र से निकलने वाले हर पंजीकृत वाहन पर विशेष ऋत्नड्ढष्ठ टैग लगाया गया है। जैसे ही वाहन चेक गेट से गुजरता है, बिना रुके उसकी पहचान और परमिट स्वत: सत्यापित हो जाते हैं। गेट पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर डेटाबेस से मिलान करते हैं।धर्मकांटों और तौल प्रणालियों को केंद्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है, जिससे ओवरलोडिंग की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है।इस डिजिटल और अमूल-चूल व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा असर राज्य के खजाने पर देखने को मिला है। किसी समय राज्य का

वार्षिक खनन राजस्व महज 300 करोड़ से 350 करोड़ के बीच सिमटा रहता था। तकनीकी पारदर्शिता, ऑनलाइन ई-रवाना प्रणाली और चेक गेटों के सुदृढ़ीकरण से चोरी रुकी और हालिया वित्तीय वर्ष में खनन विभाग ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पीछे छोड़ते हुए 1217 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है।खनन सुधारों में देश भर में दूसरे स्थान पर रहने के कारण केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड को 200 करोड़ की विशेष वित्तीय प्रोत्साहन सहायता स्वीकृत की है, जिसका उपयोग इस तकनीकी ढांचे को पहाड़ों के सुदूर क्षेत्रों तक विस्तारित करने में किया जा रहा है।अब कोई भी वाहन अवैध रूप से या बिना वैध रॉयल्टी चुकाए सड़कों पर खनिज परिवहन नहीं कर सकता। देहरादून में स्थापित माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर और जिला स्तर के मिनी कमांड सेंटरों से 24 घंटे लाइव निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही, विभाग के खनिज मित्र एकीकृत पोर्टल और एम चेक मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिकारी फील्ड में चलते वाहनों का डेटा केवल एक क्लिक में देख सकते हैं।सिस्टम के कड़े नियमों के मुताबिक, जो स्टोन क्रशर या स्क्रीनिंग प्लांट अपने सीसीटीवी कैमरों और कांटों को सरकारी सर्वर से लिंक नहीं करते, उनका ई-रवाना पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाता है। इस सख्त रुख से बिचौलियों और फर्जी कागजात के सहारे चलने वाले अवैध कारोबार की कमर टूट चुकी है।अवैध और अनियंत्रित खनन न केवल राजस्व की हानि कराता था, बल्कि उत्तराखंड की संवेदनशील नदियों और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाता था। आरएफआईडी और जीपीएस इंटीग्रेशन तकनीक की मदद से अब लीज क्षेत्र से बाहर जाकर खनन करने की प्रवृत्ति पर रोक लगी है। ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगने के कारण राज्य की ग्रामीण और राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कें भी लंबे समय तक सुरक्षित रह पा रही हैं, जिससे लोक निर्माण विभाग का रखरखाव खर्च घटा है। देश के लिए मिसाल बनी उत्तराखंड की खनन नीति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में और उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के मार्गदर्शन में उत्तराखंड का यह तकनीकी डिजिटल मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन चुका है, जहां हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य उत्तराखंड की इस हाईटेक नीति का अध्ययन कर रहे हैं।आरएफआईडी सिस्टम का लागू होना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है यह एक नीतिगत क्रांति है जिसने साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो और साथ में आधुनिक तकनीक का सुरक्षा कवच हो, तो सबसे जटिल विभागों को भी पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जन-उपयोगी बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से इसका श्रेय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल निर्देशन, मार्गदर्शन में बनी खनन नीतियों और खनन निदेशक राजपाल लेघा कि उन नीतियों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू करने को दिया जा सकता है।

डिजिटल क्रांति से बदला उत्तराखंड का खनन क्षेत्र आरएफआईडी और एमडीटीएसएस प्रणाली से हुआ 'अमूल-चूल' परिवर्तन

किच्छा (दैनिक दर्पण राजमार्ग)। उत्तराखंड का खनन क्षेत्र, जो कभी अपनी भौगोलिक विषमताओं, मैन्युअल खामियों और अवैध परिवहन की चुनौतियों के लिए सुर्खियों में रहता था, आज देश के भीतर एक डिजिटल गवर्नेंस मॉडल के रूप में उभर चुका है। इस बड़े बदलाव की मुख्य धुरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के उनके मार्गदर्शन में बनी नीतियों को पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू करना है। राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम और उसके तहत खनन वाहनों के लिए अनिवार्य की गई रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक है। इन तकनीकों के सटीक इस्तेमाल से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने न केवल माफिया राज को ध्वस्त किया है बल्कि पारदर्शी व्यवस्था लागू कर राष्ट्रीय पटल पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी अपने नाम किया है।उत्तराखंड सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के रणनीतिक मार्गों पर अत्याधुनिक ई-चेक गेट स्थापित किए हैं। इन चेक गेट्स को तकनीकी उपकरणों से लैस किया गया है। खनन क्षेत्र से निकलने वाले हर पंजीकृत वाहन पर विशेष आरएफआईडी टैग लगाया गया है। जैसे ही वाहन चेक गेट से गुजरता है, बिना रुके उसकी पहचान और परमिट स्वतः सत्यापित हो जाते हैं। गेट पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन

कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर डेटाबेस से मिलान करते हैं।धर्मकांटों और तौल प्रणालियों को केंद्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है, जिससे ओवरलोडिंग की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है।इस डिजिटल और अमूल-चूल व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा असर राज्य के खजाने पर देखने को मिला है। किसी समय राज्य का वार्षिक खनन राजस्व महज 300 करोड़ से 350 करोड़ के बीच सिमटा रहता था। तकनीकी पारदर्शिता, ऑनलाइन ई-रवाना प्रणाली और चेक गेटों के सुदृढ़ीकरण से चोरी रुकी और हालिया वित्तीय वर्ष में खनन विभाग ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पीछे छोड़ते हुए 1217 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है।खनन सुधारों में देश भर में दूसरे स्थान पर रहने के कारण केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड को 200 करोड़ की विशेष वित्तीय प्रोत्साहन सहायता स्वीकृत की है, जिसका उपयोग इस तकनीकी ढांचे को पहाड़ों के सुदूर क्षेत्रों तक विस्तारित करने में किया जा रहा है।अब कोई भी वाहन अवैध रूप से या बिना वैध रॉयल्टी चुकाए सड़कों पर खनिज परिवहन नहीं कर सकता। देहरादून में स्थापित माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर और जिला स्तर के मिनी कमांड सेंटरों से 24 घंटे लाइव निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही, विभाग के 'खनिज मित्र' एकीकृत पोर्टल और एम चेक मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिकारी फील्ड में चलते वाहनों का डेटा केवल एक क्लिक में देख सकते हैं।सिस्टम के कड़े नियमों के मुताबिक, जो स्टोन क्रशर या स्क्रीनिंग प्लांट अपने सीसीटीवी कैमरों और कांटों को सरकारी सर्वर से लिंक नहीं करते, उनका ई-रवाना पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाता है। इस सख्त रुख से बिचौलियों और फर्जी कागजात के सहारे चलने वाले अवैध कारोबार की कमर टूट चुकी है।अवैध और अनियंत्रित खनन न केवल राजस्व की हानि कराता था, बल्कि उत्तराखंड की संवेदनशील नदियों और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाता था। आरएफआईडी और जीपीएस इंटीग्रेशन तकनीक की मदद से अब लीज क्षेत्र से बाहर जाकर खनन करने की प्रवृत्ति पर रोक लगी है। ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगने के कारण राज्य की ग्रामीण और राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कें भी लंबे समय तक सुरक्षित रह पा रही हैं, जिससे लोक निर्माण विभाग का रखरखाव खर्च घटा है। देश के लिए मिसाल बनी उत्तराखंड की खनन नीति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में और उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के मार्गदर्शन में उत्तराखंड का यह तकनीकी डिजिटल मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बन चुका है, जहां हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य उत्तराखंड की इस हाईटेक नीति का अध्ययन कर रहे हैं।आरएफआईडी सिस्टम का लागू होना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है यह एक नीतिगत क्रांति है जिसने साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो और साथ में आधुनिक तकनीक का सुरक्षा कवच हो, तो सबसे जटिल विभागों को भी पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जन-उपयोगी बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से इसका श्रेय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल निर्देशन, मार्गदर्शन में बनी खनन नीतियों और खनन निदेशक राजपाल लेघा कि उन नीतियों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू करने को दिया जा सकता है।